10 रु. 10 रु. Rs.10 दस रुपये दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर ( म.प्र.) कैम्प भोपाल

R 809. PBR/14

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक :- /14

प्रस्तुत दिनांक :- 25/2/14

पुनरीक्षणकर्ता / याचिकाकर्ता:- 1. जगदीश आत्मज गोवर्धन जाट,

निवासी ग्राम जुगरियां ,तहसील व जिला हरदा

Sri Dilip Mishra Adv

विरुद्ध

उत्तरवादी :- अमरसिंह आत्मज बलदारसिंह राजपूत

कृषक,निवासी ग्राम जुगरियां

S. N. Dhangar Adv

## पुनरीक्षण याचिका ओर से याचिकाकर्ता अंतर्गत धारा 50

## म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता

उपरोक्त पुनरीक्षणकर्ता विद्वान निम्न न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय होशंगाबाद द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रं.15/अपील/2006/वर्ष 2006-07 के में दिनांक 26/12/13 को पारित आदेश की अनियमितता ,अवैधानिकता से क्षुब्ध होकर यह याचिका प्रस्तुत करते हैं।

::- याचिका के तथ्य ::-

(1) यह कि इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाद ग्रस्त भूमि खसरा क्रं.6/3 एवं 8/3 मूल रकबा लगभग 6.35 एकड मूलतः पूर्व भूमिस्वामी

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-809-पीबीआर/2014 जिला-हरदा जगदीश विरूद्ध अमरसिंह

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 10-10-2018 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक जगदीश पुत्र गोवर्धन जाट के द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त होशंगाबाद के द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 11/अपील/2007-08 के आदेश दिनांक 26-12-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।<br>3. दिनांक 27-09-2018 को आवेदक जगदीश की ओर से अभिभाषक श्री दिलीप मिश्रा एवं अनावेदक अमरसिंह की ओर से श्री एस.एन.घनकर उपस्थित हुये थे एवं उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया ।<br>4. उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । आवेदक के द्वारा अपने तर्कों में वही तर्क बताये गये है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में प्रस्तुत किया गया है ।<br>5. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गुदरिया की भूमि खसरा नं. 06/3 रकबा 1.15 एकड़ एवं खसरा नं. 8/3 रकबा 2.20 एकड़ कुल रकबा 3.35 एकड़ भूमि की रजिस्ट्री क्रमांक 2928 दिनांक 17-08-2006 का पंजीयन क्रेता जगदीश आत्मज गोर्वधन ग्राम झुगरिया के नाम संशोधन क्रमांक 75 दिनांक 16-11-2006 से नायब तहसीलदार हंडिया द्वारा संशोधन पंजी के संशोधन क्रमांक 75 में अंकित संशोधन दिनांक 15-11-2006 को तहसीलदार द्वारा प्रमाणित संशोधन दिनांक 16-11-2006 द्वारा प्रमाणित किये जाने के विरूद्ध प्रतिपार्थी अमरसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हरदा न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी | |

1/2

9.10.18

हरदा द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 15-अ-6/2006-07 में पारित निर्णय दिनांक 22-10-2007 में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हंडिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-11-2006 वैधानिक न होने से नामांतरण को निरस्त किया जाकर व्यव. वाद क्रमांक 20-अ/वर्ष 2003 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक दिनांक 23-07-2004 के अनुसार निष्पादित विक्रय पत्र के अनुसार विधिवत नामांतरण किये जाने के निर्देश के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किये जाने के आदेश पारित किये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26-12-2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर (Maintain) रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

6. आवेदक जगदीश के अभिभाषक श्री दिलीप मिश्रा के द्वारा माननीय प्रथम जिला अपर न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश हरदा के द्वारा विविध सिविल प्रकरण क्रमांक 11/11 एवं 07/10 में पारित आदेश दिनांक 16-11-2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कालू पिता हटेसिंह के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अंतर्गत आदेश 21 नियम 97 व 99 तथा सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन जिसके द्वारा कालूसिंह ने वादग्रस्त भूमियों का कब्जा वापिस दिलाये जाने का आवेदन खारिज किया गया ।

7. चूंकि अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों के द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित कर निर्णय हेतु निर्देशित किया गया है । अत: उभय पक्ष तहसील न्यायालय में साक्ष्य संबंधित अभिलेख एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रकरण का निराकरण कराये । निगरानी आवेदन निरस्त किया जाता है ।

9.10.2018

(आर.के. जैन)
सदस्य